



राज. नं. एल. डब्ल्यू./एम. पी. 890
साइलेंस नं० डब्ल्यू पी०-41
साइलेंस टू पोस्ट एंड कर्माचार्य मंत्रालय

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 29 जुलाई, 1998
श्रावण 7, 1920 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1425/संवह वि-1-1-(क) 21/1998
लखनऊ, 29 जुलाई, 1998

अधिसूचना

विषय

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1998 पर दिनांक 25 जुलाई, 1998 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1998 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनायें इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण संशोधन अधिनियम, 1998

[उत्तर प्रदेश अधिनियम-संख्या 28 सन् 1998]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 का संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनवासर्वे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

- 1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 1998 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
- (2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस

उत्तर प्रदेश अधि-
नियम संख्या 45
सन् 1976 के
दीर्घ शीर्षक का
संशोधन

धारा 1 का
संशोधन

धारा 2 का
संशोधन

नयी धारा 24-क
का बढ़ाया जाना

2—उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, दीर्घ शीर्षक में शब्द "ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में" निकाल दिये जायेंगे।

3—मूल अधिनियम की धारा 1 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

"(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 कहा जायेगा।"

4—मूल अधिनियम की धारा 2 में, खण्ड (ग) और (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(ग) छावनी क्षेत्र में स्थित वृक्षों पर।"

5—मूल अधिनियम की धारा 24 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा बहा दी जायेगी, अर्थात् :—

"24-क—उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 1998 के प्रारम्भ के दिनांक की और से किसी विधि या परिणियत संलेख में उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के प्रति किसी निर्देश को उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के प्रति निर्देश समझा जायेगा।"

उत्तर प्रदेश अधि-
नियम संख्या 45
सन् 1976 के
नाम के परिवर्तन
पर संक्रमणकालीन
उपबन्ध

ब्राह्मण से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 1425 (2)/XVII-V-1-1 (KA)-21-1998

Dated Lucknow, July 29, 1998

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Gramin aur Parvatiya Kshetra Men Vriksba Sarnakshan (Sanshodhan) Adhiniyam, 1998 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sarkhya 28 of 1998) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 28 1998.

THE UTTAR PRADESH PROTECTION OF TREES IN RURAL AND HILL AREAS (AMENDMENT) ACT, 1998

[U.P. Act No. 28 OF 1998]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh Protection of Trees in Rural and Hill Areas Act, 1976.

IT IS HEREBY enacted in the Forty-ninth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and
commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Protection of Trees in Rural and Hill Areas (Amendment) Act, 1998.

(2) It shall come into force on such date, as the State Government may, by notification, appoint in this behalf.

2. In the long title of the Uttar Pradesh Protection of Trees in Rural and Hill Areas Act, 1976, hereinafter referred to as the principal Act, the words "rural and hill areas of" shall be omitted.

Amendment of long title of U. P. Act no. 45 of 1976

3. In section 1 of the principal Act, for sub-section (1) the following sub-section shall be substituted, namely :—

Amendment of section 1

"(1) This Act may be called the Uttar Pradesh Protection of Trees Act, 1976."

4. In section 2 of the principal Act, for clauses (c) and (d) the following clause shall be substituted, namely :—

Amendment of section 2

"(c) trees situate in cantonment area."

5. After section 24 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely :—

Substitution of new section 24-A

"24-A On and from the commencement of the Uttar Pradesh Protection of Trees in Rural and Hill Areas (Amendment) Act, 1998, any reference to the Uttar Pradesh Protection of Trees in Rural and Hill Areas Act, 1976 in any law or statutory instrument shall be construed as a reference to the Uttar Pradesh Protection of Trees Act, 1976."

Transitory provision on the change of name of U. P. Act no. 45 of 1976

By order,
Y. R. TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.